


12.11.2022

पत्रावली वकील अपीलांट द्वारा दिनांक 07.11.2022 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मिसल तलब कर अपील को लोक अदालत में रखकर अंतिम निस्तारण करने पर आज राष्ट्रीय लोक अदालत न्यायालय हाजा में पेश हुई। वकील अपीलांट्स उपस्थित। वकील अपीलांट ने निवेदन किया कि विचारण न्यायालय में मूल दावे का निस्तारण हो चुका है। लिहाजा हस्तगत अपील प्रभाव हीन हो चुकी है। अतः अपील अपीलांट प्रभाव हीन होने से विधिनुसार खारिज फरमायी जावे।

वकील अपीलांट की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। हस्तगत अपील विचारण न्यायालय के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट में पारित आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की हुई है। वकील अपीलांट के कथनानुसार विचारण न्यायालय में मूल दावे का अंतिम निर्णय हो जाने से हस्तगत अपील प्रभावहीन हो चुकी है। अतः अपील अपीलांट प्रभाव हीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय आदेश प्रति के भिजवायी जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

राज्य अपील प्राधिकारी
जोधपुर


12/11/22